कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–377/2016

आर.सी.एम.एस न0 2016/00845

दर्ज दिनांक 28.12.2016

निर्णय दिनांक 18.04.2023

1. मेदाराम पुत्र भोलाराम
2. नानचाराम पुत्र भोलाराम
3. गणेश पुत्र भोलाराम
4. मूलाराम पुत्र भोलाराम
5. गोकुलराम पुत्र भोलाराम
6. हनुमान पुत्र पूराराम

समस्त जातियान माली निवासीगण चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

बनाम

1. बीरबल पुत्र महादेवा
2. सांवल पुत्र महादेवा
3. पोकर मल पुत्र ईशरा
4. रामोतार पुत्र ईशरा
5. सीताराम पुत्र ईशरा
6. शंकर लाल पुत्र ईशरा
7. दालाराम पुत्र भोलाराम

समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम चंवचरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

8. शाखा प्रबधंक जरिये एस बी बी जे शाखा गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान
9. उप पंजियक गुढागौडजी उप तहसील गुढागौडजी
10. भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजय राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 18.04.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी मेदाराम आदि बनाम बीरबल आदि आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि कस्बा व तहसील हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान खाता संख्या 99 के भूममि खसरा न0 61 रकबा 3.17 है0 खसरा न0 574/130 रकबा 0.20 है0 कुल रकबा 3.37 है0 अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का कब्जा काश्त समवत 2012 से आज तक आवेदकगण व अनावेदक संख्या 7 का ही रहा है मौके पर भूमि पर अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा अनावेदक गलत राजस्व रिकार्ड की आड में भूमि को बेचान करने पर आमादा है। महज गलत राजस्व रिकार्ड की आड में भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचने को आमादा है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम हीरवाना के वर्तमान भूमि खसरा न0 61 रकबा 3.17 है0 , खसरा न0 574/130 रकबा 0.20 है0 कुल रकबा 3.37 है0 [illegible] किया है0 मे दावे के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे। प्र[illegible] जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर[illegible] वर्णित भूमि पर अकेंले आवेदक का ही कब्जा काश्त नही रहा है। अब से पूर्व [illegible] का कब्जा काश्त रहा हैं आज भी मौके पर उपरोक्त भूमि पर अनावेदकगण का उनके हिस्से की भूमि पर [illegible]ा काश्त हैं तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अनावेदकगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। इस प्राकर उपरोक्त भूमि अनावेदकगण न0 1 लगायत [illegible] की रिकोर्डेड कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat

Date: 2023.06.14 17:01:21 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।अप्रार्थी न 7 का जबाब का अवसर बंद किया जाता ह। अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 10 बावजूद बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसके गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अनावेदक भूमि को बेचाने करने पर आमादा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक को दावे के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर अकेंले आवेदक का ही कब्जा काश्त नही रहा है। अब से पूर्व अनावेदकगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा हैं आज भी मौके पर उपरोक्त भूमि पर अनावेदकगण का उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अनावेदकगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। इस प्राकर उपरोक्त भूमि अनावेदकगण न0 1 लगायत 6 की रिकोर्डेड कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम हीरवाना के की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 61 रकबा 3.17 है0 खसरा न0 574/130 रकबा 0.20 है0 कुल किता कुल रकबा 3.37 है0 व भूमि खसरा न0 130 रकबा 3.39 है0 में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा काश्त करने में व्यवधान नहीं डाले।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested